भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3158
सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक)

महिलाओं का रोजगार

3158. श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सय्यद ईमत्याज जलीलः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं के रोजगार पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 2020 के दौरान लगभग 17 मिलियन महिलाओं को औपचारिक या अनौपचारिक या अनौपचारिक, कुशल या अकुशल रोजगार का नुकसान हुआ है;
(ग) क्या वर्क फ्रॉम होम संस्कृति ने घरेलू काम करने वाली महिलाओं पर और ऐसे कार्यों का अधिक बोझ डाला है जो दिखाई नहीं देते;
(घ) भारत के सकल घरेलू उत्पाद से देश में महिलाओं की नौकरी पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा; और
(ङ) देश में महिलाओं की नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित महिला बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 5.6% एवं 5.1% है।

भारत में पे-रोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य – दिसम्बर, 2020 के अनुसार, अप्रैल, 2020-दिसम्बर, 2020 के दौरान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत लगभग 9.27 लाख महिला अंशदात्ताओं, नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत 1.13 लाख महिला अंशदाताओं तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत लगभग 2.03 लाख महिला अंशदाताओं की वृद्धि हुई है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) समाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। सरकार ने संध्या **7** बजे से सुबह **6** बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज तथा भूमिगत कामकाज में सुबह **6** बजे से संध्या 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी, सहित भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

सामान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 जिसे अब मजदूरी संहिता**,** 2019 में शामिल कर लिया गया है**;** व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****